

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 09/2013 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना

मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र० ।

-----अभियोजन

बनाम

1. महेन्द्र उर्फ मुन्नालाल पुत्र रामस्वरूप शर्मा उम्र 32 वर्ष ।
2. मायाराम पुत्र रामस्वरूप शर्मा उम्र 38 वर्ष ।
3. श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी मायाराम शर्मा उम्र 38 वर्ष । समस्त निवासी ग्राम सिंगरौली पुरोहित का पुरा थाना चिन्नोनी जिला मुरैना, हाल निवासी कुशवाह कॉलोनी हरीराम का पुरा मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र० ।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री एस०के०तिवारी
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क०. 1019/2012 इ०फौ०
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र० 09/2013

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर ।
अभियुक्तगण द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता ।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक

को घोषित किया गया //

01. अभियुक्तगण का विचारण धारा 304बी विकल्प में 302, 302/34, 498ए भा०दं०वि० एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 07.06.2012 को 23:45 बजे अपने मकान कुशवाह कॉलोनी मालनपुर में मृतिका पूजा के पति, जेठ और जिठानी होते हुए विवाह के सात वर्ष के अंदर

दहेज की मांग को लेकर और इस संबंध में उसके साथ कूरता कर परिपीडित किया और इस प्रकार पूजा शर्मा की दहेज मृत्यु कारित हुई वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतिका पूजा की साशय या जानबूझकर मृत्यु कर उसकी हत्या की एवं बैकल्पिक रूप से यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ मृतिका पूजा की हत्या करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए साशय या जानबूझकर पूजा की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की। उन पर यह भी आरोप है कि दिनांक 07.06.2012 के करीब एक साल पूर्व मृतिका पूजा शर्मा के पति और पति के नातेदार होते हुए भी दहेज के रूप में मूल्यवान सम्पत्ति की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित कर कूरता कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक व समय अंतराल में मृतिका पूजा शर्मा एवं उसके परिवार वालों से दहेज की मांग की गई।

02. यह अविवादित है कि पूजा शर्मा का विवाह आरोपी महेन्द्र के साथ उसकी मृत्यु के एक साल पूर्व सम्पन्न हुआ था। यह भी अविवादित है कि आरोपी मायाराम मृतिका का जेठ तथा नीलम जिठानी है। अभियोजन साक्षीगण आरोपीगण को जानना पहिचानना भी अविवादित है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 07.06.2012 को कुशवाह कॉलोनी मालनपुर में रहने वाले महेन्द्र शर्मा की पत्नी पूजा शर्मा की अकाल मृत्यु हो गई जिसकी सूचना उसके पति महेन्द्र शर्मा के द्वारा थाना मालनपुर पर दी गई जिस पर से थाना पर मर्ग कायम किया गया, मर्ग की जाँच की गई। मर्ग की जाँच के दौरान मृतिका की लाश के संबंध में सफीना फार्म जारी किया गया और लाश का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया। शव परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया एवं विसरा आदि की जप्ती की गई। मर्ग की जाँच के दौरान यह तथ्य आया है कि मृतिका पूजा शर्मा का विवाह दिनांक 08.07.2011 को आरोपी महेन्द्र निवासी सिंगरौली पुरोहित का पुरा मुरैना के साथ हुई थी। शादी में करीब डेढ़ लाख रूपए उसके भाई भगवानदास के द्वारा खर्च किए गए थे जो कि पैत्रिक मकान के बिक्रय करने पर पूजा के हिस्से में आए हुए पैसे उसके विवाह में लगाए गए थे। शादी के बाद पूजा दो बार उनके यहाँ आई थी और इस दौरान बताया था कि उसका पति महेन्द्र, जेठ मायाराम एवं जिठानी नीलम जो कि मालनपुर में रहते हैं, वह पचास हजार रूपए और मोटरसाइकिल की मांग कर उसे मारपीट कर परेशान करने लगे। उनके द्वारा पूजा को कहा गया कि ससुराल वालों को समझा दें। दिनांक 04.06.2012 को पूजा के पति महेन्द्र ने फोन से यह कहा कि पूजा को भेज जाओ तब उसका भाई भगवानदास उसे

उसी दिन मालनपुर उसके पति, जेठ और जिठानी के पास छोड़ गया था। वह वहाँ पर रात भर रुका था, उसने पूजा के पति, जेठ और जिठानी को समझाया था कि वह लोग मजदूरी करते हैं उनके पास पैसा नहीं है जब आ जाएगा तो माँग पूरी कर देंगे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि पूजा को परेशान नहीं करेंगे, दूसरे दिन वह अपने घर चला आया था। 04.

प्रकरण में आगे यह बताया गया है कि दिनांक 07.06.2012 को भी पूजा ने फोन कर के उसे परेशान करने वाली बात बताई थी। दिनांक 08.06.2012 को सुबह मालनपुर से सूचना प्राप्त हुई कि पूजा की मृत्यु हो गई है। तब वह एवं उसकी पत्नी मालनपुर आए और देखा कि पूजा की लाश रखी हुई है। पूजा के पति महेन्द्र, जेठ मायाराम और जिठानी नीलम मालनपुर में एक ही मकान में रहते हैं, उनके द्वारा दहेज में पचास हजार रुपए और मोटरसाइकिल की माँग कर पूजा को परेशान किया गया और माँग पूरी न होने के कारण कोई जहरीली वस्तु खा लेने से पूजा की मृत्यु हो गई। मर्ग की जाँच के उपरांत मृतिका पूजा की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा घटित होना पाया जाने पर जो कि आरोपीगण पति व पति के नातेदार होते हुए दहेज की माँग को लेकर उसे प्रताड़ित करते हुए क्रूरता का व्यवहार किया जाना पाया जाना जिस कारण सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाना पाया जाने पर पुलिस थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 137/12 धारा 304बी, 498ए भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दर्ज किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियोजन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

05. आरोपीगण के विरुद्ध धारा प्रथम दृष्टिया धारा 304बी विकल्प में 302, 302/34, 498ए भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

06. दं.प्र.सं. के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

07. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 07.06.2012 को मृतिका पूजा शर्मा की मृत्यु मालनपुर जिला भिण्ड

में सामान्य परस्थितियों के अन्यथा कारित हुई?

2. क्या मृतिका पूजा शर्मा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर कारित हुई?
3. क्या मृतिका की मृत्यु के कुछ समय पूर्व आरोपीगण जो कि उसका पति और पति के नातेदार हैं के द्वारा उससे दहेज की माँग को लेकर उसे परेशान और प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया?
4. क्या मृतिका पूजा शर्मा की मृत्यु दहेज मृत्यु है?

बिकल्प में

क्या पूजा शर्मा की आरोपी/आरोपीगण के द्वारा साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की गई?

बिकल्प में

क्या आरोपी/आरोपीगण के द्वारा मृतिका की हत्या का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए साशय या जानबूझकर हत्या की गई?

5. क्या पूजा के विवाह के उपरांत से उसकी मृत्यु के पूर्व तक आरोपीगण जो कि उसके पति और पति के नातेदार हैं दहेज की माँग को लेकर या अन्य प्रकार से उसे प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया?
6. क्या आरोपीगण के द्वारा पूजा के विवाह उपरांत मृतिका एवं उसके परिवार वालों से दहेज की माँग की गई?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 व 2:—

08. डॉक्टर आर0बिमलेश अ0सा0 6 के अनुसार दिनांक 08.06.2012 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान उन्होंने मृतिका पूजा जिसे कि थाना मालनपुर के द्वारा शव परीक्षण हेतु लाया गया था, का शव परीक्षण किया था। मृतिका के वाह्य परीक्षण में उसकी गर्दन के नीचे अकडन मौजूद थी, बाईं आँख थोड़ी लाल थी, मुँह के निचले किनारे से लार बहकर बाएँ गाल पर आकर सूख गई थी, पेट हल्का फूला हुआ था, आँखें दोनों अधखुली थी और पुतली फेली हुई थी, मुँह बंद था। मृतिका आंतरिक परीक्षण में मृतिका सामान्य कद काटि की थी, उसके शरीर पर घाँव व चोट के निशान नहीं थे। खोपड़ी

व मस्तिष्क, पदार्, पसली सामान्य थे, स्वांस नली में तरल दृव्य उपस्थित था। दाएं और बाएं दोनों फेंफड़े रक्त युक्त थे, हृदय के दाएं कोस्ट खून था, बायां कोस्ट खाली था। पेट कंजस्टेड था जिस पर रक्त स्त्राव के निशान थे, छोटी आंत में अधपचा भोजन था और बड़ी आंत में मल तथा गैस थी। लिवर, तिल्ली, गुर्दा रक्त युक्त थे, मूत्राशय की थैली में पैशाब मौजूद थी। मृतिका के विसरा, लंग, लिवर, गुर्दा, दिल, पेट एवं आंत का हिस्सा बायोलॉजिकल एवं सीरोलॉजिकल एवं किसी जहर को जानने के लिए सुरक्षित कर संबंधित आरक्षक को भेजे गए थे। अपने अभिमत में उन्होंने बताया है कि मृतिका की मृत्यु स्वसन तंत्र के अवरुद्ध हो जाने हुई थी जो कि शव परीक्षण से 12 से 24 घण्टे के भीतर की थी जिसकी रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. इस प्रकार डॉक्टर आर0बिमलेश अ0सा0 6 के कथन से स्पष्ट है कि मृतिका पूजा की मृत्यु हो गई थी जो कि स्वसन तंत्र के अवरुद्ध होने से उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु के कारण के संबंध में उसका विसरा व शरीर के अन्य अंग सुरक्षित कर परीक्षण हेतु भेजा गया था। इस संबंध में न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर की रिपोर्ट प्र.सी. 1 के अनुसार मृतिका पूजा के विसरा के टुकड़ों के परीक्षण उपरांत उसमें आरगेनोफास्फोरस कीटनाशक "मोनोक्रोटोफास" होना पाया गया था। इस प्रकार मृतिका पूजा के शरीर में कीटनाशक पदार्थ होना भी पाया गया है।

10. मृतिका पूजा की मृत्यु के उपरांत बनाया गया नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 में उसकी मृत्यु के कारण का पता न चल पाना उल्लेख किया गया है और पी0एम0 कराने की सलाह दी गई है। इस संबंध में जैसा कि उपरोक्त पी.एम. रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतिका की मृत्यु स्वसन तंत्र के अवरुद्ध होने से हुई है और उसके विसरा परीक्षण में शरीर में रासायनिक बिष कीटनाशक दवा के अवशेष होने भी पाए गए हैं, जिससे उसकी मृत्यु कीटनाशक दवाई पी लेने से होना परिलक्षित होता है।

11. मृतिका पूजा की मृत्यु होना जो कि विवाह के एक साल पहले ही उसकी मृत्यु हो जाना अभियोजन साक्षी भगवानदास अ0सा0 1 के कथन से भी स्पष्ट है जो कि मृतिका पूजा का भाई है जिसके द्वारा यह बताया गया है कि उसकी बहन पूजा का विवाह उसकी मृत्यु से एक साल पहले महेन्द्र के साथ सम्पन्न हुआ था। उसे फोन से सूचना मिली कि पूजा खत्म हो गई है तो वह परिवार सहित मालनपुर आया था, पुलिस ने उसके सामने सफीना फार्म प्र.पी. 1 तैयार किया था और लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 बनाया था। इसी प्रकार साक्षी हेमलता मिश्रा अ0सा0 3 जो कि मृतिका की बड़ी बहन हैं के द्वारा भी बताया गया है कि मृतिका पूजा का विवाह उसकी मृत्यु के एक साल पहले आरोपी महेन्द्र के साथ सम्पन्न हुआ

था। इसी प्रकार साक्षी सुमन अ0सा0 4 के द्वारा बताया गया है कि पूजा की शादी हाल ही में हुई थी वह उनके पड़ोस में ही रहते थे।

12. इस प्रकार मृतिका पूजा का विवाह आरोपी महेन्द्र के साथ उसकी मृत्यु के करीब एक साल पूर्व होना उपरोक्त साक्षियों के कथनों के आधार पर स्पष्ट है। इस बिन्दु पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त परीक्षण के दौरान प्रश्न क्रमांक 2 में आरोपीगण के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि मृतिका पूजा का विवाह एक साल पहले सम्पन्न हुआ था। इस प्रकार मृतिका पूजा की मृत्यु विवाह के एक साल उपरांत जो कि निश्चित तौर से विवाह के सात वर्ष के अंदर कारित होना प्रमाणित है। इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि मृतिका पूजा की मृत्यु जहरीला पदार्थ खाने के कारण हुई है जो कि निश्चित तौर से उसकी मृत्यु स्वभाविक श्रेणी में नहीं है और न ही उसकी मृत्यु की प्रकृति दुर्घटनात्मक प्रकार की है। ऐसी दशा में मृतिका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा कारित होना प्रमाणित होता है।

बिन्दु क्रमांक 3 लागयत 6:-

13. दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इस संबंध में धारा 113(ए), 113(बी) साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान भी उल्लेखनीय है जो कि दहेज हत्या के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान करते हैं। धारा 304बी भा0दं0वि0 हेतु निम्न आवश्यक तत्व हैं-

- (क) किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा कारित हुई हो।
- (ख) मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हुई हो।
- (ग) मृत्यु के पूर्व उसके पति या पति के किसी नातेदार के द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई हो या उसे तंग किया गया हो।
- (घ) उक्त क्रूरता या तंग करने का कृत्य दहेज की माँग को लेकर या उसके संबंध में किया गया हो।
- (ङ) इस प्रकार की क्रूरता या तंग करने का कृत्य उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व किया गया हो।

14. इस संबंध में उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा 304बी भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्शाए गए आवश्यक तत्वों की पूर्ती हो जाती है तो

उस दशा में धारा 113(बी) साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु की उपधारणा की जाएगी। इस संबंध में पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

15. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं विश्लेषण से यह प्रमाणित है कि मृतिका पूजा महेन्द्र की विवाहिता पत्नी है तथा शेष आरोपीगण मायाराम और नीलम पूजा के जेठ व जिठानी है जो कि उसके पति के नातेदार है। मृतिका पूजा की मृत्यु उसके विवाह के एक वर्ष के अंदर होना भी प्रमाणित है। मृतिका पूजा की मृत्यु के संबंध में पुलिस थाना मालनपुर में मृत्यु की सूचना उसके पति महेन्द्र शर्मा के द्वारा दी गई है जो कि मर्ग सूचना प्र.पी. 14 है। सूचना के उपरांत प्रकरण में विवेचना आगे की गई है। धारा 304बी भा0दं0वि0 हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अभियोजन को प्रमाणित करना है वह यह है कि क्या मृतिका पूजा को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति और पति के नातेदारों के द्वारा दहेज की माँग को लेकर इस संबंध में परेशान कर उसके प्रति क्रूरता की गई? उक्त तथ्य के प्रमाणित होने पर ही धारा 113(बी) साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा की जाएगी।

16. उपरोक्त संबंध में अभियोजन साक्षी भगवानदास अ0सा0 1 जो कि मृतिका का भाई है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी यह नहीं बताया है कि उसकी बहन पूजा के द्वारा कभी-भी आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उससे दहेज की माँग की गई हो या दहेज की माँग को लेकर उसे परेशान या प्रताड़ित किया गया हो। इस प्रकार अभियोजन के उक्त प्रमुख साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का इस बिन्दु पर कोई भी समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु सूचक प्रश्नों के दौरान भी उसके कथनों उपरोक्त बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का किसी प्रकार से कोई समर्थन या सम्पुष्टि नहीं होती है।

17. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी हेमलता अ0सा0 3 जो कि मृतिका की बहन है के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी दहेज की माँग आरोपीगण के द्वारा की जाने या दहेज की माँग को लेकर मृतिका को प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है। उक्त साक्षिया को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्षी के कथन से भी इस बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि होना नहीं पाया जाता है।

18. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी राजकुमार अ0सा0 2 तथा सुमन

अ0सा0 4 जो कि मालनपुर में आरोपीगण एवं मृतिका के पड़ोसी है। उक्त साक्षीगण के कथनों में भी उपरोक्त बिन्दु पर कि मृतिका को आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा प्रताड़ित कर कूरता का व्यवहार किया जा रहा था, ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं आई है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में उपरोक्त बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई तथ्य नहीं आया है।

19. इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षियों के कथनों के आधार पर कहीं भी आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका पूजा से दहेज की माँग किया जाना अथवा पूजा को दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित कर उसके प्रति कूरता का व्यवहार किये जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है।

20. जहाँ तक मृतिका पूजा की हत्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा किए जाने का संबंध में आरोपीगण पर लगाया गया आरोप का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कहीं भी कोई ऐसी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे कि यह तथ्य प्रमाणित या पुष्टि होता हो कि मृतिका पूजा जिसकी कि मृत्यु जहरीले पदार्थ के सेवन के कारण स्वसन तंत्र रूक जाने से होना पाया गया है। उसे उक्त जहरीला पदार्थ किस आरोपीगण या किस आरोपी के द्वारा उसकी हत्या कारित करने के आशय से सेवन कराया गया हो या जबरदस्ती उक्त पदार्थ पिला दिया गया हो जिससे कि उसकी मृत्यु हुई हो। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका पूजा की हत्या कारित करने का तथ्य भी साक्ष्य के आधार कदापि प्रमाणित नहीं है।

21. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी अमरनाथ वर्मा अ0सा0 7 जिनके द्वारा मार्ग की जाँच और प्रकरण की विवेचना की गई एवं जाँच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 9 आरोपीगण के विरुद्ध लेखबद्ध की गई है और जाँच के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना और आरोपीगण को गिरफ्तार करना बताया गया है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन उपनिरीक्षक विनोदविनायक करकरे के द्वारा सफीना फार्म प्र.पी. 1 तैयार करना एवं लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 और घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 13 एवं मार्ग सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 14 के दस्तावेज प्रमाणित किये हैं। किन्तु मात्र विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई उपरोक्त विवेचना की कार्यवाही के आधार पर जबकि अपराध में आरोपीगण या किसी आरोपी को लिप्त करने हेतु कोई साक्ष्य होनी नहीं मानी जा सकती और इसके आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता।

22. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 498ए भा0दं0वि0 तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप का जहाँ तक प्रश्न है। प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कहीं भी आरोपीगण यस किसी आरोपी के द्वारा मृतिका पूजा से दहेज की कोई माँग करना अथवा दहेज की माँग को लेकर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया जाना या उसे अन्य किसी प्रकार से परेशान और प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता किये जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं आई है। प्रकरण में कोई ऐसी भी साक्ष्य नहीं है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा मृतिका पूजा या उसके परिवार वालों से दहेज की कोई माँग की गई हो। ऐसी दशा में उपरोक्त बिन्दुओं पर भी अभियोजन का प्रकरण आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है।

23. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रक्ष्य में अभियोजन का प्रकरण आरोपीगण या किसी आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपीगण महेन्द्र, मायाराम एवं नीलम को आरोपित अपराध धारा 304बी विकल्प में 302, 302/34, 498ए भा0दं0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

24. प्रकरण में जप्तशुदा शीलबंद विसरा, नकल घोल व शील नमूना मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाए।

25. अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड